Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.
Anganbari Appeal No.- 20/2022
Niha Khatoon...Appellant
Versus
The State of Bihar & Ors...Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	22.02.2023	**आदेश** प्रस्तुत आंगनबाड़ी अपील वाद न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार द्वारा अपील वाद सं0–6/2021 में विभागीय मार्गदर्शिका 2019 के आलोक में निर्धारित समय सीमा के अंदर आदेश पारित नहीं करने के विरूद्ध दायर किया गया है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि कटिहार जिले के बारसोई परियोजना अंतर्गत ग्राम–गोविन्दपुर, वार्ड सं0–09, पो0–बेलवा, पंचायत–बेलवा में आंगनबाड़ी सेविका पद पर चयन करने हेतु समाज कल्याण विभाग, बिहार पटना द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के पत्रांक–286, दिनांक–27.05.2019 के आधार पर कुल 15 अभ्यर्थियों के द्वारा ऑन लाईन आवेदन समर्पित किये गये थे। जिसमें मात्र 04 अभ्यर्थियों का नाम मेधा सूची में आया। समर्पित आवेदन के पश्चात दिनांक–20.08.2019 को आमसभा आयोजित करते हुए उत्तरवादी आईसा खातुन, पति–सनाउल्लाह का सेविका पद पर चयन किया गया। उत्तरवादी सं0–06 आईसा खातुन के सेविका के पद हेतु चयन के पश्चात अपीलार्थी द्वारा उक्त आंगनबाड़ी सेविका के चयन में हुई अनियमितता के विरूद्ध जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार को परिवाद समर्पित किया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार द्वारा विभागीय मार्गदर्शिका 2019 के आलोक में दिनांक–20.09.2019 को प्रश्नगत मामले में सुनवाई करने हेतु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बारसोई को प्रेषित कर दिया गया। उक्त के	

Web Copy. Not Official.

		आलोक में अपीलार्थी द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, क्रमशः		
	<u>लगातार</u> 22.02.2023	बारसोई के समक्ष आवेदन समर्पित किया गया। समर्पित अपील के आलोक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बारसोई द्वारा अभिलेख सं0–04/2019–20 संधारित किया गया एवं सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान अपीलार्थी निहा खातुन के द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया कि चयनित सेविका नियमित छात्रा के रूप में एक ही वर्ष में दो शैक्षणिक संस्थान 1. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की है एवं बिहार मदरसा बोर्ड, पटना से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की है। साथ ही बिहार बोर्ड से निर्गत प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 28.12.1999 एवं मदरसा बोर्ड से निर्गत शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि 31.12. 1999 दर्ज है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बारसोई के द्वारा पारित आदेश के अनुसार चयनित सेविका के दो अलग–अलग संस्थानों में भिन्न–भिन्न जन्म तिथि को सही ठहराया गया तथा सेविका के चयन में समिति द्वारा लिये गये निर्णय में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता से इनकार किया गया तथा अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारिज कर दिया गया। उत्तरवादी सं0–06 के द्वारा निर्गत शपथ पत्र सं0–42 दिनांक–20.01.2021 को लेख्य प्रमाणक बारसोई, कटिहार के द्वारा समर्पित करते हुए बताया गया कि उनके द्वारा सेविका पद के लिए आवेदन बिहार पटना से निर्गत मैट्रिक शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया है तथा भविष्य में किसी भी नियुक्ति में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्गत मैट्रिक के शैक्षणिक प्रमाण पत्र का उपयोग करेगी एवं भविष्य में फोकानियाँ के शैक्षणिक प्रमाण पत्र का उपयोग किसी भी नियुक्ति के लिए नहीं करेंगी। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार के न्यायालय में दिनांक–15.06.2021 को अपील वाद समर्पित किया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार के द्वारा अपील वाद सं0–06/2021 संधारित किया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार द्वारा		

Web Copy. Not Official.

		प्रश्नगत मामले में कोई अभिरूचि नहीं रखते हुए सुनवाई की तिथि भिन्न–भिन्न निर्धारित किया गया, जबकि विभागीय मार्गदर्शिका के क्रमशः	
	<u>लगातार</u> 22.02.2023	ज्ञापांक–286, दिनांक–27.05.2019 के कंडिका–12 का उल्लंघन करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा अनावश्यक रूप से वाद को लंबित रखा गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार के द्वारा ससमय आदेश पारित नहीं करने की स्थिति में अपीलार्थी द्वारा विभागीय मार्गदर्शिका के पत्रांक–286, दिनांक–27.05.2019 के आलोक में अपीलार्थी के द्वारा इस न्यायालय में अपील समर्पित किया गया है। इस प्रकार बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बारसोई के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने एवं अपील आवेदन स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादी सं0–06 आईसा खातुन के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी निहा खातुन द्वारा समर्पित पुनरीक्षण वाद कानून की दृष्टि से पोषणीय नहीं है एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार के न्यायालय में आंगनबाड़ी अपील सं0–6/21 लंबित है। अपीलार्थी द्वारा अपने प्रमाण पत्र में अपने पिता का नाम कशरूद्दीन एवं माता का नाम जोहरा खातुन अंकित किया गया है। अंचल कार्यालय, बारसोई द्वारा निर्गत वंशावली में अपलार्थी के पति अबूल मालेक, पिता–कशीरउद्दीन है एवं यही नाम 2020 के मतदाता सूची में अंकित है। इस प्रकार अपीलार्थी अबूल मालेक की बहन हो जाती है। उत्तरवादी सं0–06 मैट्रिक प्रमाण पत्र का आधार पर चयन हुआ है, जिसमें इनकी जन्म तिथि 28.12.1999 है। जबकि अपीलार्थी ने दावा किया है कि फोकानियाँ प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 31.12.1999 दर्ज है। यह लिपिकीय भूल हो सकती है। अपीलार्थी नियमित रूप से कार्य कर रही है। नियमावली 2019 में प्रमंडलीय आयुक्त को निम्न न्यायालय में लंबित वादों के आधार पर कार्यवाही करने का प्रावधान है न कि मामले की सुनवाई करने की। इस प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने तथा निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख	

Web Copy. Not Official.

		में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन एवं समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि आवेदिका द्वारा प्रस्तुत वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार द्वारा वाद सं0-06/2021 में ससमय आदेश पारित नहीं करने के कारण दायर किया गया है। उपरोक्त वर्णित स्थिति में प्रस्तुत वाद क्रमशः	
	<u>लगातार</u> 22.02.2023	को इस आशय के साथ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार को प्रतिप्रेषित करते हुए आदेश दिया जाता है कि लंबित वाद में उभय पक्षों की नियमानुसार सुनवाई करते हुए 60 दिनों के अन्दर मुखर आदेश पारित करेंगे। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.